भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *126

गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक)

भारत में बेरोजगारी

***126 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास 18-29 वर्ष की आयुवर्ग के उन युवाओं की संख्या से सम्बंधित कोई आंकड़ा है जो भारत में बेरोजगारी के कारण छोटी-मोटी नौकरियों के लिए विदेश चले गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास 18-29 वर्ष की आयुवर्ग के उन युवाओं की संख्या से सम्बंधित कोई आंकड़ा है जो बेरोजगार हैं, यदि हां, तो साक्षर बेरोजगार युवाओं और निरक्षर बेरोजगार युवाओं का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार क्षमता अभी भी बहुत कम है, यदि हां, तो इस क्षेत्र में रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"भारत मे बेरोजगारी" के संबंध में श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 31.07.2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *126 **के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क): विदेश मंत्रालय ई-माइग्रेट पोर्टल का रख-रखाव करता है जिस पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-2025 (जून 2025 तक) के दौरान, ईसीआर देशों में रोजगार के लिए 18-29 वर्ष की आयु के कुल 4,78,311 भारतीय कामगारों को इमीग्रेशन क्लियरेंस प्रदान की गई है जिनके पास इमीग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ईसीआर) पासपोर्ट हैं।

(ख) और (ग): रोजगार और बेरोजगारी का डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 तक विभिन्न सामान्य शैक्षिक स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

सामान्य शैक्षिक स्तर	**2017-18**	**2023-24**
निरक्षर	1.2	0.2
साक्षर और प्राथमिक शिक्षा तक	2.7	0.6
पूर्व-माध्यमिक	5.5	1.6
माध्यमिक	5.7	1.9
उच्चतर माध्यमिक	10.3	4.4
माध्यमिक और उससे अधिक	11.4	7.1
समस्त	**6.0**	**3.2**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न शैक्षिक स्तरों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

इसके अलावा, 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं का सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने संबंधी अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस, विनिर्माण क्षेत्र सहित अखिल भारतीय स्तर पर रोज़गार अनुमान प्रदान करता है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार 2017-18 में 5.47 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 6.31 करोड़ हो गया है, जो इस अवधि के दौरान लगभग 84 लाख की वृद्धि दर्शाता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र भी शामिल है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं जिनका उद्देश्य रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक फ्लैगशिप योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करना है ताकि युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सक्षम बनाकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी क्षेत्रों में विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र पर ख़ास ध्यान देते हुए रोजगार सृजन को समर्थन देने, नियोजनीयता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

***